राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राम सिंह बनाम रामेश्वर 989/2017 572/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 989/2017 एवं 572/2017 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
07/04/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट खन्नीपुरा में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/06/2017 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को ग्राम सिरसी तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 74 पुराना 69 के खसरा नम्बर 250 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 259/4 2 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.63 हैक्टयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 2.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 1.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 1.05 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 8.62 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 75 पुराना 70 के खसरा नम्बर 273 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 83 पुराना 90 के खसरा नम्बर 251 रकबा 0.81 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 92 पुराना 89 के खसरा नम्बर 249 रकबा 1.02 हैक्टेयर पर उभयपक्षों की उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तहसीलदार को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री 22/08/2017 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/06/2017 के विरुद्ध अपील संख्या 572/2017 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22/08/2017 के विरुद्ध अपील संख्या 989/2017 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही नि.य के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त प्रतिवादीगण की समुचित तामील करवाये बगैर हो प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते अपीलाधीन प्राथमिक एवं तत्पश्चात अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के अनुरूप त्रुटीपूर्ण प्रतीत होता है | विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पक्षकार की समुचित एवं विधिसम्मत तामील करवाया जाना सुनिश्चित करते हुये उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | इसके अतिरिक्त यह भी जाहिर होता है कि प्रश्नाधीन वाद में समस्त सहखातेदारान को पक्षकार प्रकरण नही बनाया गया है, जो न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयां निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये वादअधीन आराजी के खाते में अंकित सभी सहखातेदारान को पक्षकार समायोजित कर समस्त प्रतिवादीगण को साक्ष्य-सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक व अन्तिम निर्णय व डिक्रीये दिनांक 15/06/2017 व 22/08/2017 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के परिदृश्य में अग्रिम कार्यवाही किये जाने के उपरान्त विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसरण में विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार दोनों अपीले क्रमश: 989/2017 व 572/2017 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर